न्यायालय सहायक कलक्टर,भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— अक्षय गोदारा, आई0ए0एस0 (प्रशिक्षु)

राजस्व वाद संख्याः— 28/2006

1. गिर्राज सिंह
2. मानसिंह

पुत्रान रामसिंह उर्फ करकली जाति गडरिया निवासी बरसो तहसील व जिला भरतपुर

.....वादीगण

बनाम

1. भूपसिंह
2. गोपाल
3. खूबीराम

पुत्रान भमरी जाति गडरिया निवासी बरसो तहसील व जिला भरतपुर

4. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार भरतपुर
5. मोहनसिंह
6. सत्येन्द्रसिंह

पुत्रान निहालसिंह जाति गडरिया निवासी बरसो

7. भरतसिंह

तहसील व जिला भरतपुर

8. बाबू पुत्र कोकरली
9. हीरा पुत्र कोकरली जाति गडरिया निवासी बरसो तहसील व जिला भरतपुर (मृतक)

    9/1. कुन्ती विधवा हीरा जाति गडरिया निवासी बरसो तह. भरतपुर।

    9/2. आशा पुत्री हीरा पत्नी श्री जगदीश जाति गडरिया निवासी हाल रसूलपुर तह0 फतेहपुर सीकरी तह0 किरावली जिला आगरा उ0प्र0

    9/3. सुनीता पुत्री हीरा पत्नी श्री हसमल जाति गडरिया निवासी बरसो तह0 व जिला भरतपुर

10. तुलाराम पुत्र कोकल्ली जाति गडरिया निवासी बरसो तह0 व जिला भरतपुर
11. हुकमी पुत्र निन्नू जाति गडरिया निवासी बरसो तह0 व जिला भरतपुर (मृतक)

    11/1. ग्यासी पुत्र टुक्की जाति गडरिया निवासी बरसो तह0 भरतपुर

    11/2. भगवानी पुत्री टुक्की पत्नी परशोत्तम जाति गडरिया निवासी मगोर्रा तह0 मथुरा उ0प्र0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11/3. सुशीला पुत्री टुक्की पत्नी मुरारीलाल जाति गडरिया निवासी पहाड पोस्ट फतेहपुर सीकरी तहसील किरावली जिला आगरा उ0प्र0

11/4. सम्पत पुत्री टुक्की पत्नी नेकराम जाति गडरिया निवासी मांझी तहसील नदबई जिला भरतपुर।

.....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88–89–188 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955

निर्णय

दिनांकः–

25–03–2019

वादीगण ने जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर दावा अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर.टी.ए. विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि आराजी खसरा नंबरान 293/0.13, 294/0.10, 557/0.20, 558/0.17, 679/0.18, 887/0.21, 995/0.27, 886/0.21, व 1082/0.31 वाके ग्राम घसौला तहसील व जिला भरतपुर के वादीगण 1/2 हिस्से के व प्रतिवादीगण 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार काबिज हैं। भूप्रबंध विभाग ने इन नम्बरान को साविक खसरा नंबरान से निम्न प्रकार निर्मित किया है –

वर्तमान	–	गत
293/0.13	–	487 मिन/0.16, 484मिन/0.12
294/0.10	–	487 मिन, 484 मिन
558/0.17	–	683/1.3
557/0.20	–	684/1.4
679/0.18	–	725मिन/0.12, 729/0.14
886/0.21	–	1386मिन/1.9
887/0.21	–	1386 मिन
995/0.27	–	1391/1.11
1082/0.31	–	867/0.14, 867/0.13

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 की वंशावली निम्न प्रकार है–

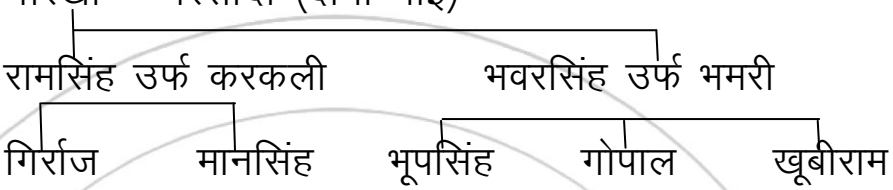

वादग्रस्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 की पुश्तैनी खेवट की आराजी है जो राजस्थान जमींदारी एवं बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के प्रभाव में आने के समय वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 के पूर्वज गोरखी की खुद काश्त में अंकित रही है। गोरखी को विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए हैं। जिनको वादीगण के पिता रामसिंह उर्फ करकल्ली एवं प्रतिवादीगण के पिता भंवरसिंह ने समभाग मे उक्त गोरखी के मरणोपरान्त उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। इस प्रकार विवादित आराजी में वादीगण 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार अपने पिता रामसिंह उर्फ करकल्ली के मर जाने के बाद हुए हैं शेष 1/2 हिस्से को भमरी से प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 ने उत्तराधिकार में प्राप्त किया है।

राजस्व अभिलेख में प्रतिवादीगण के पिता भमरी ने मौका के खिलाफ व गैर कानूनी रूप से आराजी खसरा नंबरान 293, 294, 557, 558, 679, 887, 995 को समस्त को अपने नाम करा लिया है। आराजी खसरा नंबर 886/0.27 में 2/3 हिस्सा पर प्रतिवादीगण सं0 5 से 10 का नाम व आराजी खसरा नंबर 1082/0.31 के 14 बिस्वा रकबे पर प्रतिवादी सं0 11 का नाम राजस्व कर्मचारियों द्वारा गलत दर्ज कर दिया है। इस समय आराजी में 1/2 हिस्से के वादीगण व 1/2 हिस्से के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार दर्ज होने चाहिए। भमरी की मृत्यु हो चुकी है। प्रतिवादीगण सं0 1 से 3 उसके पुत्रान व वारिसान हैं।

प्रतिवादीगण ने गलत इन्द्राज के आधार पर दिनांक 18.02. 2006 को विवादित आराजी में वादीगण की आधे हिस्से की भूमि से इन्कार करते हुए धमकी बेदखली दी है। जिससे वादीगण के अधिकार खातेदारी पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण न्यायालय से यह घोषणा कराने के अधिकारी हैं कि वादीगण वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार काबिज है। आराजी खसरा नंबरान 293, 294, 558, 557, 679, 887, 995 पर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 के पिता भमरी के नाम आराजी खसरा नंबर 886 के 2/3 हिस्से पर प्रतिवादीगण सं. 5 लगायत 10 के एवं आराजी खसरा नंबर 1082 के 0.14 बिस्वा रकबे पर प्रतिवादीगण सं0 11 के नाम इन्द्राज खातेदारी गलत है। जो काबिल कलमजन के है। जमाबन्दी संवत 2059 से 2062 में खाता संख्या 99 पर दानसिंह नाम गलत है उसे मानसिंह दुरुस्त किया जाना न्यायहित में जरूरी है।

प्रतिवादीगण ने दिनांक 18.02.2006 को विवादित आराजी में वादीगण को उनके 1/2 हिस्से से जबरन बेदखल करने की तथा आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तान्तरण करने की खुले आम धमकी दी है और खुले आम कहा है कि अब प्रतिवादीगण विवादित आराजी समस्त पर जबरन कब्जा करेंगे तथा आराजी मुतनाजा का अन्यत्र हस्तान्तरण करेंगे। अगर प्रतिवादीगण इस धमकी में सफल हो गये तो वादीगण को ऐसी हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी नकद धन राशि से नहीं हो सकेगी वदी वजह वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी कराने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण वादीगण को आराजी मुतनाजा से उनके 1/2 हिस्से बेदखल नहीं करें तथा आराजी मुतनाजा का अन्यत्र हस्तान्तरण नही करें।

इस प्रकार वादीगण ने दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि यह घोषित किया जावे कि वादीगण आराजी वर्णित खण्ड सं. 1 वादपत्र के 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार काबिज हैं। प्रतिवादीगण का वादीगण के इस 1/2 हिस्से से कोई संबंध नहीं है आराजी खसरा नंबर 293, 294, 558, 557, 679, 887, 995 पर प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 के पिता भमरी के हक में आराजी खसरा नंबर 886/0.21, 2/3 हिस्से पर प्रतिवादीगण सं. 5 से 10 के हक में एवं आराजी खसरा नंबर 1082 के 14 बिस्वा रकबे पर प्रतिवादी सं. 11 के नाम इन्द्राज खातेदारी गलत है काबिल निरस्त के है। खाता सं. 99 पर जमाबन्दी 2056 से 2061 में इन्द्राज दानसिंह गलत है इसके स्थान पर मानसिंह दर्ज किया जावे। और स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण आराजी वर्णित खण्ड सं0 1 वादपत्र से वादीगण को उनके 1/2 हिस्से से बेदखल नहीं करें। वादीगण को उनके हिस्से पर काश्त करने में कोई व्यवधान पैदा नहीं करे तथा आराजी मुतनाजा का अन्यत्र हस्तान्तरण नहीं करे। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में हाल जमाबन्दी संवत् 2058–2061, मिलान क्षेत्रफल, जमाबंदी संवत 2011, जमाबंदी संवत 2028, नकल नामान्तरकरण, जमाबंदी संवत 2015 व खसरा की नकलें पेश की हैं।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये अभिभाषक उपस्थित आये और अपना जबाव दावा प्रस्तुत किया। तत्पश्चात पत्रावली कायमी तनकियात में नियत की गई। किन्तु दिनांक 07.01.2019 को वादीगण गिर्राजसिंह पुत्र रामसिंह, मानसिंह पुत्र रामसिंह एवं प्रतिवादीगण भूपसिंह, गोपाल, खूबीराम पिसरान भमरीएवं ग्यासी पुत्र टुक्की जाति गडरिया निवासी बरसो तहसील व जिला भरतपुर द्वारा एक राजीनामा प्रस्तुत किया गया जो बाद तस्दीक संलग्न पत्रावली है।

तत्पश्चात राजीनामा प्राप्त होने पर उभयपक्षकारान के अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष के

अभिभाषकगण द्वारा दावा बरविनाय राजीनामा डिक्री किये जाने का अनुरोध किया गया।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं राजीनामा का गहनता से अध्ययन किया।

वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 व 11/1 के मध्य दिनांक 07.01.2019 को राजीनामा इस प्रकार तस्दीक हुआ है कि विवादित आराजी हाल खसरा नंबरान 293/0.13 व 294/0.10 ग्राम घसौला पर हम प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी राजस्व अभिलेख में अंकित है जो गलत है। उक्त आराजी पैतृक है जिसमें 1/2 भाग के हिस्सेदार व खातेदार वादीगण हैं इसलिए वादीगण इसी मुताबिक स्वयं को खातेदार घोषित कराने के हकदार हैं। साथ ही अन्य खसरा नंबरान जो राजस्व रिकार्ड में दोनों के अंकित हैं वही बहाल रखे जावें। इस पर हम दोनों पक्षकारान सहमत हैं। बाद में कोई उज्रदार दोनों पक्ष नहीं करेंगे तथा हाल खसरा नंबर 1082/0.31 ग्राम घसौला में वादीगण को 13 बिस्वा का व प्रतिवादी ग्यासी को 14 बिस्वा का खातेदार अंकित कर रखा है जबकि मौके पर अलग–2 नंबर हैं। इसलिए वादीगण का नवीन नंबर 1082/1/0.15 का न्यारानूर कायम किया जावे तथा प्रतिवादी ग्यासी का 1082/0.16 निकरावर खाता कायम किया जावे। इसी मुताबिक दावा वादीगण किया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2058–2061 के अनुसार खसरा नम्बर 293, 294 में हाल जमाबन्दी में भमरी खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है जो प्रतिवादी संख्या 1,2,3 का पिता है। इन खसरा नम्बरों पर वादीगण गिर्राज व मानसिंह का कोई इन्द्राज किसी भी हिस्से पर दर्ज नही है।

इसके अलावा खसरा नम्बर 1082 में जमाबन्दी संवत 2058–2061 के अनुसार टुक्की जो प्रतिवादी संख्या 11/1 का पिता है, के अलावा इन्हीं खसरा नम्बरों पर गिर्राज, दानसिंह

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पिसरान रामसिंह हिस्सानुसार गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खसरा नम्बरों में प्रतिवादी संख्या 1,2,3 का कोई इन्द्राज नहीं है।

इस क्रम में वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा किये गये राजीनामे पर अवलोकन किया तो उक्त राजीनामा के आधार पर 293, 294 ग्राम घसौला जिसमें सम्पूर्ण के खातेदार प्रतिवादी सं0 1 लगायत 3 हैं, में से 1/2 हिस्सा के खातेदार वादीगण (गिर्राज व मानसिंह) का किये जाने का अंकन किया है। जबकि वादीगण का उक्त खसरा नंबर में कोई हिस्सा नहीं है। इसी प्रकार राजीनामा के अनुसार खसरा नंबर 1082 में वादीगण द्वारा स्वयं को 15 एयर का तथा प्रतिवादी ग्यासी को 16 एयर का खातेदार किये जाने का अंकन किया है। जबकि जमाबन्दी संवत 2058–2061 में टुक्की पुत्र निन्नू खातेदार रकबा 14 बिस्वा (अर्थात 11 एयर) तथा गिर्राज दान सिंह 13 बिस्वा (अर्थात 10 एयर) के गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। इस प्रकार वादीगण द्वारा पेश जमाबंदी के आधार पर ही टुक्की व उसके वारिसान तथा वादीगण का कुल रकबा 21 एयर ही होता है। लेकिन जमाबंदी के कानून नं0 6 में रकबा 31 एयर दर्शित किया गया है जो स्पष्ट रूप से वादीगण के कालम सं0 4 में दर्शित हिस्सा के अनुपात में 31–21=10 एयर रकबा वेशी है। यह वेशी रकबा वादीगण के पास कहां से आया यह भी उनके द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त वादीगण इस जमाबंदी के कालम सं0 4 के दर्शित हिस्सा से ज्यादा रकबा किस प्रकार व किस कानून से प्राप्त कर सकते हैं। यह भी वादीगण ने स्पष्ट नहीं किया है। वादीगण द्वारा राजीनामा में अपने जमाबंदी में दर्ज हिस्से (13 बिस्वा व 14 बिस्वा) को छिपाकर राजीनामा पेश किया है। जो कतई वैधानिक नहीं है।

इसके अतिरिक्त जमाबंदी संवत 2058–2061 के अवलोकन से यह भी जाहिर है कि वादीगण कालम सं0 4 के अनुसार 13 बिस्वा के गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। यहां यह तथ्य विचारणीय है कि क्या एक गैर–खातेदार राजीनामा के माध्यम से किसी अन्य को भूमि हस्तांतरित कर सकता है?

कानूनन एक गैर–खातेदार को संपत्ति हस्तांतरित करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। वादपत्र के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि वादीगण द्वारा स्वयं को गैर खातेदार से खातेदार किये जाने का कोई अनुतोष न्यायालय से नहीं चाहा गया है। इस प्रकार इनके द्वारा गैर खातेदारी के इन्द्राजों को छिपाया गया है।

राजीनामा से खसरा नंबर 293, 294 के 1/2 भाग पर वादीगण को खातेदार घोषित कराना चाहा गया है जबकि उक्त खसरा नंबरान पर वादीगण के कोई इन्द्राज नहीं हैं। स्पष्ट है कि उपरोक्त खसरा नंबरान में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के हक में 1/2 हिस्से का अनुचित रूप से हस्तांतरण किया जा रहा है। जबकि राजीनामा के माध्यम से हस्तांतरण किया जाना संभव नहीं है।

यदि वादीगण और प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा से आराजी का हस्तांतरण होता है तो निश्चित ही राजस्व हानि होगी। जो मुद्रांक करापवंचन की संज्ञा में आता है।

उपरोक्त विवेचनानुसार दावा वादीगण खारिज किये जाने योग्य पाते हैं।

अतः आज्ञा है कि –

दावा वादीगण खारिज किया जाता है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 25.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अक्षय गोदारा)
आई.ए.एस.(प्रशिक्षु)
सहायक कलक्टर भरतपुर